(वाद संख्या–**7533/17**)

24.07.2019

परिवादी महेन्द्र प्रताप मंडल उपस्थित हैं।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कोचस, रोहतास श्री राजीव झा उपस्थित हैं। सहायक विद्युत अभियंता की ओर से अपने पत्रांक–227, दिनांक–19.07.2019 के द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामला परिवादी के पिता स्व0 देवलाल सिंह के नाम के घरेलू बिजली कनेक्शन के गलत बिलिंग तथा उससे परिवादी को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि कोचस, जिला–रोहतास में उसके निवास स्थान में दो बिजली कनेक्शन था, जिसमे से एक उसके पिता स्व0 देवलाल सिंह के नाम से है, जबकि दूसरा स्वयं परिवादी के नाम से है।

परिवादी का कथन है कि उसके पिता के बिजली कनेक्शन का सर्वप्रथम 50,000/– रुपये का बिजली–बिल दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा जमा कर दिया गया। पुनः SBPDCL द्वारा उसके पिता वाले बिजली कनेक्शन का 57,07,209/– रुपये का बिजली–बिल दिया गया। उक्त बिजली–बिल में संशोधन करने की परिवादी की ओर से की गयी याचना पर SBPDCL द्वारा उक्त बिल में संशोधन कर 8500/– रुपये का संशोधित बिल दिया गया जिसे परिवादी द्वारा जमा कर दिया गया। तत्पश्चात् SBPDCL द्वारा परिवादी के व्यक्तिगत नामवाले विद्युत कनेक्शन में विद्युत चोरी को लेकर एक मामला दायर किया गया, जिसमें उसे 51,000/– रुपये का अर्थदण्ड किया गया, जिसे परिवादी द्वारा SBPDCL में जमा कर दिया गया। परिवादी का अंत में कथन है कि SBPDCL के उपरोक्त कार्रवाई से उसे आर्थिक क्षति के साथ–साथ मानसिक क्षति भी हुयी तथा उसका अनावश्यक समय भी बर्बाद हुआ।

विद्युत सहायक अभियन्ता, कोचस यह स्वीकार करते हैं कि परिवादी के घर पर विद्युत का दो कनेक्शन था, जिसमे से परिवादी के नामवाले विद्युत कनेक्शन को बाद में परिवादी द्वारा बंद कर दिया गया। सहायक विद्युत अभियंता का यह भी कथन है कि उक्त विद्युत कनेक्शन से परिवादी का जेनरल स्टोर का दुकान तथा फोटो स्टेट की दुकान में विद्युत आपूर्ति की जाती थी। विद्युत विभाग द्वारा परिवादी के उक्त विद्युत कनेक्शन में विद्युत उर्जा की चोरी करते परिवादी को पकड़ा गया जिसके लिए परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 51,100/–रुपये का अर्थ दण्ड किया गया जिसे परिवादी द्वारा जमा भी कर दिया गया। बाद में परिवादी ने अपने उक्त विद्युत कनेक्शन को बंद करवा दिया। सहायक विद्युत अभियन्ता का आगे कथन है कि परिवादी द्वारा अपने पिता के नामवाले विद्युत कनेक्शन का अद्यतन विद्युत–बिल का भुगतान किया जा रहा है तथा उक्त विद्युत कनेक्शन में कोई बकाया नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपने पिता के नामवाले विद्युत कनेक्शन का SBPDCL द्वारा 50,000/–रुपये का बिजली–बिल दिये जाने को लेकर परिवादी द्वारा सासाराम के उपभाक्ता संरक्षण न्यायालय में एक मामला दाखिल किया गया है जो अभी वहां विचाराधीन है, जिसमें विद्युत विभाग उपस्थित हो चुका है।

जहां परिवादी को विद्युत चोरी के आरोप में 51,100 रुपये की राशि के अर्थ दण्ड का भुगतान करने का प्रश्न है, यह नियमानुसार की गयी है तथा इसके विरूद्ध परिवादी द्वारा किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील नहीं की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को मानवाधिकार के उल्लघंन का न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक